



लिए दुग्ध संघ से अनुबंध
में स्पष्ट उल्लेख रहता है
ता दुग्ध पार्लर पर बीडी,
गा, तंबाकू आदि सामग्री
नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा

कोटपा अधिनियम के तहत भी दिए थे निर्देश...

बाद भी शहर के पार्लरों
अन्य सामग्री का विक्रय

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार
ने तम्बाकू आपदा से बचाने के लिए

कुछ ही रजिस्टर्ड...

नुसार शहर में कई सांची
लेत हो रहे हैं। इन पर
ची का नाम लिखा है।

पा से लाइसेंस लिया है।

दूध संघ द्वारा एक प्रति गा नगर निगम को भी भेजी के अनुसार कुछ नो. गांजी की दुकानों से ही बेचे जाए। इसके बाद भी जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शहर सदित मंडी में शिशु गांजी

दूध पालरों पर खुले आम तम्बाकू उत्पाद भी बेचे जा रहे हैं।

री दो कार की टक्कर में तीन घायल
नागराणागद १ फरवरी गुरु एकमागेग।

फरवरी
गाम पंथ

अज्ञात
घोरी की

दर्ज कर जांच शुरू की है। नारायणगढ़ पुलिस के अनुसार
मामला संजीत रोड़ स्थित नापाखेड़ा व खेड़ा के बीच का
है।

ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी कार ड्रायवर मनीष पिता धनराज पाटीदार निवासी मगराना ने अपनी कार

को अनियंत्रित व तेज चलाकर फरियादी की कार को टक्कर मार दी। इससे कार सवार भगत राम, उसकी बेटी

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

को पलित्व ले दबाया

କମଳା କୁମାରୀ ଓ କବିତା



त बदमाशों ने नीमच के **फर्जी मेडिकल रिपोर्ट**

लगाकर बढ़ाई पैंरोल...?

को हाईकोर्ट से एक माह की पैरोल मिली थी। वह भोपाल सेंट्रल जेल में बंद था।

ओं और हमलावरों के बीच
एक हमलावर बाबू फकीर

फकीर जो की इंदौर जिले के रहने वाला था, मारा गया। फकीर की कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी के साथ एक बस्ती में रहा। साथ शूटर बाबू फकीर से जेल में दोस्ती बढ़ाई और बाबू फकीर की कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी के

जीजा ने पैरोल करवाई। बीते माह पैरोल की अवधि बढ़ाने के लिए बाबू सिंधी ने जर्ज टेर्रेट्स से आदेश प्राप्त किया। जिसमें जर्ज

लेस...
र जानलेवा हमला हुआ।

च के लायंस पार्क के पास मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई। सूत्र बताते हैं
ग्री फुटेज सामने आ चुका कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का बाबू सिंधी

नववाहर नगर में रहने वाले
में नीमच पुलिस के दल ने

मच की पुलिस गोलीकांड का आवेदन लगाया। हाईकोर्ट ने 17 फरवरी तक पैरोल की अवधि बढ़ाई थी।

नीमच गोलीकांड:वारदात के विरोध में सड़क पर उमड़ा जनसैलाब, महारैली निकाल जताया आक्रोश



✳ मुख्यमंत्री से की मांग, अपराधियों का जड़ से हो यूपी पेटर्न पर खात्मा ✳ सर्व समाज हुआ शामिल, 115 समाज और सामाजिक संगठनों ने दिया ज्ञापन ✳ नीमच के इतिहास में पहली बार हुआ सामाजिक आंदोलन, 8 वर्ष से 87 वर्ष तक की आयु वाले लोग हुए शामिल, बजरंगियों ने बढ़-चढ़कर लिया भाग

नीमच, 8 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। समाजसेवी और आरोग्यधाम भादवामाता मंदिर के जिर्णोद्धारकर्ता अशोक अरोरा गंगानगर पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर नीमच के इतिहास में पहली बार सामाजिक आंदोलन हुआ। गुरुवार को सर्व समाज और सभी संगठन इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ज्ञापन देने वाले संगठन और समाजों की संख्या 115 तक पहुंची। नीमच में पहला ऐसा मौका है, जिसमें सभी संगठन और सर्व हिन्दू समाज ने विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभाई। न तो किसी का आह्वान था और न ही किसी का बुलावा। सभी समाज, संस्था के पदाधिकारी स्वैच्छा से सड़क पर उतरे। उनकी आंखों में नीमच में हुए गोलीकांड को लेकर जबरदस्त आक्रोश था। समाजसेवी अशोक अरोरा के लिए जन सैलाब सड़कों पर उतरा तो देखने वाले दंग रह गए। सभी की सीएम डॉ. मोहन यादव से एक ही मांग थी कि बदमाशों का यूपी के अतिक अहमद की तर्ज पर जड़ से खात्मा हो, उनकी अवैध संपत्तियों पर

बुलडोजर चलो। नीमच में इस तरह की घटना जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीत 4 फरवरी को नीमच में सरेआम दिनदहाड़े हुए गोलीकांड को लेकर समाज के हर वर्ग में आक्रोश देखा जा रहा है। श्री अरोरा पर लायंस पार्क के समीप बदमाशों ने फायरिंग की, जो कि बदमाशों के बुलंद हौसलों को दर्शाती है। हालांकि इस घटना में जवाबी फायरिंग में इंदौर का शार्प शूटर (शातिर अपराधी) बाबू फकीर मौके पर ही डेर हो गया, जिस पर 11 हत्याओं के केस दर्ज थे। बता दें कि श्री अरोरा हर वर्ग में अपनी गहरी पैठ रखते हैं। वे सभी धार्मिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि वे नीमच ही नहीं आस-पास के क्षेत्र में उनके हजारों समर्थक हैं। जैसे ही श्री अरोरा के साथ प्राणघातक हमले की जानकारी जनता तक पहुंची तो आक्रोश फैल गया। तीन दिन बाद भी बदमाशों का खात्मा नहीं होने से और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं किए जाने से सर्व समाज में आक्रोश बढ़ गया। गुरुवार

को शहर के भारत माता चौराहे (फोर जियो) पर सर्व समाज और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी दोपहर 12 बजे एकत्रित होना शुरू हो गया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ चौराहे पर जमा हो गई। यहां से पैदल रैली शुरू हुई, जो नयाबाजार, बारदरी, फव्वारा चौक, टोरा मार्ग होते हुए पुराने कैट थाने पहुंची। इस दौरान भादवामाता की जय, जय-जय श्री राम, हर-हर महादेव के नारे गूंजते रहे। खास बात यह है कि विरोध प्रदर्शन में उमड़े हजारों लोगों में 8 से लेकर 87 वर्ष तक के लोग शामिल थे। पुराने कैट थाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसौदिया पहले से मौजूद थे। यहां पर ज्ञापन देने वालों की लंबी कतारें देखी गईं। करीब 115 समाज और सामाजिक संगठन, संस्थाओं ने अपना लेटर हेड पर सीएम डॉ. मोहन यादव व राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के नाम एसपी श्री सिसौदिया को ज्ञापन सौंपी करीब एक घंटे तक ज्ञापन देने का सिलसिला चला। एसपी ने भरोसा दिलाया कि बदमाशों के खिलाफ कड़ी

कार्रवाई होगी। ज्ञापनों का वाचन बजरंग दल के नेता निर्मलदेव नरेला ने किया। वहीं आभार अभिभाषक संघ नीमच के अध्यक्ष मनीष जोशी ने माना। इस अवसर पर अविभाजित जिले के वरिष्ठ अभिभाषक हरिप्रसाद जोशी, मुकेश खंडेलवाल, मुन्ना चौंसिया, सुरेश शर्मा, योगेश पंथ, नवीन आरके, रवि दुआ आनंदो, अनिल गोयल, रवींद्र महेता, राजेश जैन, राजेश अजमेरा, तरुण बहेती, बाबू लाल गोड, चंचल बहेती, शौकीन जैन, कमलेश गर्ग, भगत राम नायक, रोहित नरवले, दीपक श्रीवास्तव, राजेंद्र गर्ग एसपी, गुड्डुसुंदर, प्रतीक डोसी, मोहन मेगानानी, विश्वेश शर्मा, सुंदर सेठी, मूलचंद खींची, नीरज अहीर, मितुल मितल, भूपेन्द्र बाबा, राकेश चरण, मनीष यादव नवीन गहनी, नरेंद्र कोठारी, बैटी सेन रमेश रज्जोरा, लक्ष्मण सिंह भाटी, प्रवेश नयान, शौकीन जैन, हसगोविंद दीवान, राकेश सोनकर, विशाल वर्धनी, बंजारा समाज के भारतसिंह खींची, आर सागर कच्छावा, डॉ एलबीएस चौधरी, डॉ

अशोक जैन, डॉ. भंडारी, डॉ गर्ग, दीपक सिंहल, मनीष चमडिया, राजेंद्र खंडेलवाल, राजेश मंत्री, मनोहरसिंह लोढा, भूषण पटवा, कमल गर्ग, मनोहर अजनानी, दीपक गेहलोत, रमेश गर्ग मंदसौर, कालू चौपडा, संदीप चौपडा, नारायण काबरा, जगदीश गुर्जर, हरभजनसिंह सिद्धू समाज, सत्यनारायण तेली, वाल्मिकी समाज से लाला घेंघट, रोशन वर्मा, नीरज अहीर, मनोहर चौरसिया, मनदीप टुंजेजा, महेंद्र गुर्जर मंदसौर सहित विभिन्न समाजों के अध्यक्ष व पदाधिकारीगण मौजूद थे।

भविष्य की चुनौतियों को पहचान कर एकता के सूत्र में बंधे वैश्य बंधु- गुप्ता

वैश्य समाज के प्रणेता नारायण प्रसाद गुप्ता की स्मृति में 29 यूनिट रक्तदान किया



मंदसौर, 8 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई द्वारा वैश्य समाज के प्रणेता स्वतंत्रता सेनानी श्री नारायण प्रसाद गुप्ता नानाजी की स्मृति में 8 फरवरी को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए मंदसौर जिला मुख्यालय पर गौशाला परिसर में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष श उमाशंकर गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मौके पर 29 यूनिट रक्तदान किया गया और 100 से अधिक वैश्य बंधुओं और मातृशक्ति एवं नगर वासियों ने रक्त परीक्षण कराया वह एक सप्ताह में जिला

चिकित्सालय में जाकर रक्तदान करेंगे। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, प्रदेश महामंत्री जगदीश अग्रवाल गरोठ, समाज सेवी प्रहलाद काबरा, गौशाला के डायरेक्टर संजय लोढा उपस्थित थे। अध्यक्षता जिला प्रभारी नरेंद्र अग्रवाल ने की। समारोह में वैश्य महासम्मेलन जिला महामंत्री भगवानदास विजयवर्गीय, युवा संभागीय अध्यक्ष अभित मारवाड़ी, जिला प्रभारी जगदीश काला, जिलाध्यक्ष राकेश दुमाड, जिला महामंत्री दिलीप सेठिया, प्रोजेक्ट चेरमैन एडवोकेट गौरव रत्नावत, कमल कोठारी, जिला महिला

फरवरी को एक साथ रक्तदान का आयोजन किया जाता है। जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी आज मध्य प्रदेश में रक्तदान हुआ है। यह पुनीत कार्य करने से एक और जहां संगठन को खड़ा करने वाले के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रक्तदान का पुनीत कार्य कई लोगों के जीवन की रक्षा करेगा।

अशोकजी अरोरा (गंगानगर) व्यवसायी एवं वरिष्ठ समाजसेवी पर प्राण घातक हमला हुआ, जो निश्चित ही निंदनीय है। आपने समाज सेवा के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। श्री अशोक अरोरा सर्वहारा वर्ग में एक सच्चे समाजसेवी के रूप में प्रख्यात हैं, इनके पास जो भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों हेतु जाता है, सहायता राशि के अतिरिक्त अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। नगर के हर व्यक्ति की हर संभव सहायता करते हैं, जिससे वे नगर में लोकप्रिय हैं। ऐसे धर्मपरायण और सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी पर शहर में दिनदहाड़े प्राण घातक हमला करना घोर निंदनीय है। पंजाबी समाज, मनासा के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण इस हमले की निंदा करते हैं और आपसे निवेदन करता है कि हमलावरों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु योग्य कार्यवाही की जाने की कृपा करें।

अरोरा पर जानलेवा हमले के विरोध में पंजाबी समाज ने सौंपा ज्ञापन

मनासा, 8 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। पंजाबी समाज द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम पवन बरिया को सौंप कर मांग की है की विगत दिनों

अशोकजी अरोरा (गंगानगर) व्यवसायी एवं वरिष्ठ समाजसेवी पर प्राण घातक हमला हुआ, जो निश्चित ही निंदनीय है। आपने समाज सेवा के साथ-साथ धार्मिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। श्री अशोक अरोरा सर्वहारा वर्ग में एक सच्चे समाजसेवी के रूप में प्रख्यात हैं, इनके पास जो भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों हेतु जाता है, सहायता राशि के अतिरिक्त अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। नगर के हर व्यक्ति की हर संभव सहायता करते हैं, जिससे वे नगर में लोकप्रिय हैं। ऐसे धर्मपरायण और सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी पर शहर में दिनदहाड़े प्राण घातक हमला करना घोर निंदनीय है। पंजाबी समाज, मनासा के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण इस हमले की निंदा करते हैं और आपसे निवेदन करता है कि हमलावरों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु योग्य कार्यवाही की जाने की कृपा करें।

जिला सड़क सुरक्षा उपसमिति की बैठक 12 को
मंदसौर, 8 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। जिला सड़क सुरक्षा उपसमिति सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि जिला सड़क सुरक्षा उपसमिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक 12 फरवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उप पुलिस अधीक्षक के कक्ष में आयोजित की जाएगी।



जावद, 8 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। श्रीमान अनुज कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो तस्कर (1) मिश्रीलाल उर्फ कालू पिता मोतीलाल धाकड़, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम आलोरी गरवाडा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच एवं (2) अशोक पिता देवीलाल धाकड़, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम हाथीपुरा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8(सी)/15(सी) के अंतर्गत 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,00,000-2,00,000 रु. अर्धदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25.09.2022 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, के निरीक्षक धर्मसिंह मीणा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम हाथीपुरा, जो कि थाना रतनगढ़ क्षेत्र में आता है वहां पर अशोक धाकड़ उसके चचेरे भाई मिश्रीलाल धाकड़ के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी कर रहा है तथा उसने गांव के बाहर अपनी जमीन

दो डोडाचूरा तरकरों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास

पर एक अस्थायी गोदाम/बाड़ा बना रखा है, जिसमें वह डोडाचूरा का संग्रह करके उसकी पिसाई व पैकिंग करके विभिन्न वाहनों से तस्करी का कार्य कर रहा है व उसने 03 गाड़ियों में डोडाचूरा भरकर लोड कर रखा है, जिसकी तस्करी कर उसे बाहर भेजने की तैयारी में वह है। निरीक्षक धर्मसिंह मीणा द्वारा मुखबिर सूचना से अधीक्षक अमरसिंह कनोजिया को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा निरीक्षक पुरुषोत्तम मीणा को दल का गठन कर कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया। निरीक्षक पुरुषोत्तम द्वारा दल के साथ दिनांक 26.09.2022 को प्रातः 06 बजे ग्राम हाथीपुरा जाकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे जहां पर तलाशी लिये जाने पर एक आई-20 कार जिसमें 5 कटोरे में 198 किलोग्राम डोडाचूरा, एक स्कॉरपियो वाहन में 21 कटोरे में 421 किलोग्राम तथा एक पिकअप वाहन में 25 कटोरे में 425 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुआ था, जिसको जप्त किया गया तथा मौके पर ही 02 बाल अपचारीगण को 12 बोर की बंदूक व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके की कार्यवाही कर विवेचना उपरांत पवित्रा विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया। बाल अपचारीगण के संबंध में परिवाद पृथक से बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक

अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जमी अधिकारी, फोरेंसिक सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का संग्रह एवं तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐन द्वारा किया गया तथा अभियोजन के सफल संचालन में सुश्री प्रियंका गुर्जर, श्रीमती नीरा यादव अधिवक्तागण व इंटरनल भगत मालवीय का सक्रिय सहयोग रहा।

कार की टक्कर से

बाइक सवार घायल

पिपलियामंडी, 8 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर पुलिस थाने के सामने कार ड्राइवर ने बाइक सवार रुपनी चोपाटी क्यामपुर निवासी लक्ष्मण पिता भारीस्थ रेबारी को टक्कर मार दी, सूचना पर टोल प्लाजा टीम मौके पहुंची व घायल को एंबुलेंस से मंदसौर जिला अस्पताल भर्ती कराया।



दानराशि की गणना- श्री पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटी से प्राप्त दान राशि की गणना का कार्य दिनांक 7 फरवरी को किया गया। जिसमें आज 19 लाख 24 हजार 800 रुपए प्राप्त हुए। दिनांक 8 फरवरी को 8 लाख 41 हजार 794 प्राप्त। इस प्रकार कुल 2 दिन की गणना कार्य में कुल 27 लाख 66 हजार 594 रुपए प्राप्त हुए। चांदी के 150 ग्राम के छोटे आइटम, सोने के 6 ग्राम का आइटम, सज्जदी अरब, नेपाल, कुवेत, अमेरिका की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल रतलाम

नामान्तरण —सूचना

मण्डल की आवासीय कॉलोनी दलौदा जिला मंदसौर स्थित भवन क्रमांक MIG.I.11 श्री भगवान सिंह सिसौदिया पिता श्री परमेश्वर सिंह को आवंटित किया गया था। उक्त भवन का विक्रय विलेख दिनांक 29.12.2015 उप पंजीयक कार्यालय मंदसौर में किया गया था।

आवंटी श्री भगवान सिंह सिसौदिया पिता श्री परमेश्वर सिंह द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्री देवराज सिंह देवडा पिता श्री वीरेन्द्र सिंह को कर विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2022 को इनके पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। श्री देवराज सिंह देवडा पिता श्री वीरेन्द्र सिंह उक्त विक्रय पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भवन का नामांतरण अपने नाम करवाना चाहते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/परिवार के सदस्य/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति/उर्ज हो तो वह विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में मय ठोस प्रमाण के कार्यालय में प्रस्तुत करे समयवधि व्यतीत हो जाने पर भवन क्रमांक MIG.I.11 का नामान्तरण श्री देवराज सिंह देवडा पिता श्री वीरेन्द्र सिंह के नाम से कर दिया जावेगा उसके पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति/उर्ज मान्य नहीं होगा।

सम्पदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग-रतलाम (मप्र)

कार्यालय सम्पदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल रतलाम

नामान्तरण —सूचना

मण्डल की आवासीय कॉलोनी कितियानी मंदसौर स्थित भूखंड क्रमांक L.II-105 श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा पिता श्री दाताराम शर्मा को आवंटन आदेश क्रमांक 108 दिनांक 24.01.1989 द्वारा आवंटित किया गया था। भूखंड का पड्डाभिलेख दिनांक 10.03.2000 को निष्पादित करवाया गया था।

श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा पिता श्री दाताराम शर्मा द्वारा अपनी स्वेच्छा से भूखंड का विक्रय श्री देवराज सिंह देवडा पिता श्री वीरेन्द्र सिंह को कर विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2007 को इनके पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। उक्त विक्रय पत्र एवं प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती माया गुप्ता पति श्री विजय कुमार गुप्ता भूखंड का नामांतरण अपने नाम करवाना चाहती हैं। अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/परिवार के सदस्य/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति/उर्ज हो तो वह विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में मय ठोस प्रमाण के कार्यालय में प्रस्तुत करे समयवधि व्यतीत हो जाने पर भूखंड क्रमांक L.II-105 का नामान्तरण श्रीमती माया गुप्ता पति श्री विजय कुमार गुप्ता के नाम कर दिया जावेगा उसके पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति/उर्ज मान्य नहीं होगा।

सम्पदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग-रतलाम (मप्र)

भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा मंदसौर

रेडक्रास भवन, बीपीएल चौराहा, महु नीमच रोड, मंदसौर (म.प्र.) 458001 फोन नं.-07422-223018

क्रमांक..../रेडक्रास/24

* विज्ञप्ति *

मंदसौर, दिनांक-.....

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा मंदसौर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN (Chilre with Special Needs) के लिये संचालित छात्रावास हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार अधीनस्थ निम्नलिखित रिक्त पदों पर अस्थाई संविदा नियुक्तियां की जाना है। पदों का विवरण, संख्या, मानदेय, आयु, न्यूनतम अर्हता अनुभव आदि विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	पद का नाम	पद संख्या	मानदेय प्रतिमास	न्यूनतम अर्हता	अनुभव
1	अतिथि शिक्षक/विशेषज्ञ CWSN छात्रावास	2	7500/-	1. स्नातक बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (MR) 2. डी.एड. स्पेशल एजुकेशन आई.सी.आई. से मान्यता प्राप्त	विशेष शिक्षा में फाउन्डेशन कोर्स या डी.एस.ई. के साथ 3 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता
2	सहायक रसीडेंसी कम चौकीदार CWSN छात्रावास (पूर्ण कालिक)	1	7000/-	1. 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव को प्राथमिकता
3	थेरेपिस्ट/इंस्ट्रक्टर (बिल/संकेत भाषा) विशेष रूप से मंदबुद्धि बच्चों के लिए गतिविधि प्रशिक्षण प्रति थेरेपिस्ट	1	300/- प्रति विजिट	आर.सी.आई. अथवा मेडिकल काउंसलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा	न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव को प्राथमिकता

नियुक्तियां पूर्ण रूप से अस्थायी है राज्य शासन / शिक्षा केंद्र से प्राप्त अनुदान पर आधारित है अनुदान न प्राप्त होने पर अथवा केंद्र बंद होने पर नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जावेगी। नियत मानदेय के अलावा कोई भत्ता, मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो ग्राफ एवं पूर्ण बायोडेटा मय योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां सहित सचिव, भारतीय रेडक्रास सोसायटी, रेडक्रास भवन, बीपीएल चौराहा, मंदसौर (म.प्र.) के पते पर दिनांक 19/02/24 तक सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित आवेदन पत्र कार्यालय समय पर प्राप्त करना होगा।

मानसेवी सचिव

भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला-शाखा मंदसौर